

आदेश

श्री धर्मवीर पुत्र श्री जगमाल, पंच, वार्ड नं०. 03, ग्राम पंचायत फरीदपुर, खण्ड सरस्वती नगर, जिला यमुनानगर द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 28.04.2025 जो उपायुक्त, यमुनानगर के सिफारिश पत्र क्रमांक 2467/पंचायत पी०सी०-3 दिनांक 05.05.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
06-05-2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए००२-2025 / 20890-96 दिनांक : 08/05/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
 2. उपायुक्त, यमुनानगर को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 2467/पंचायत पी०सी०-3 दिनांक 05.05.2025 के संदर्भ में।
 3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर।
 4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, सरस्वती नगर, (जिला यमुनानगर)।
 5. संरपच, ग्राम पंचायत फरीदपुर, खण्ड सरस्वती नगर, जिला यमुनानगर।
 6. श्री धर्मवीर पुत्र श्री जगमाल निवासी गांव फरीदपुर, तहसील सरस्वती नगर, जिला यमुनानगर।
- ✓ आई०टी० सैल, मुख्यालय।


अधीक्षक (चुनाव) 08/05/25

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Sh. Goring / Sh. Mohit